

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या- पी0आर0/2018

शिक्षक डायरेक्टरी ऑनलाईन अद्यतन करने तथा सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करने हेतु तिथि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना :

एतद् द्वारा राज्य के राजकीय, राजकीयकृत, उत्क्रमित, अल्पसंख्यक, प्रोजेक्ट, आवासीय, स्वत्वधारक, प्रस्वीकृत एवं स्थापना अनुमति कोटि के सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्तर के विद्यालय के प्रधान, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक) एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 252/2018, दिनांक-01.10.2018 के माध्यम से माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान को समिति के वेबसाईट www.biharboard.online पर उपलब्ध शिक्षक डायरेक्टरी को दिनांक 03.10.2018 से 10.10.2018 तक की विस्तारित अवधि में विद्यालय में अद्यतन कार्यरत शिक्षकों की सूची ऑनलाईन अपडेट करने का निदेश दिया गया था।

2. राज्य के मान्यता प्राप्त कुल 6834 माध्यमिक विद्यालयों में से मात्र 5075 विद्यालयों के प्रधान द्वारा ही अपने विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की अद्यतन सूची ऑनलाईन अपडेट किया गया है जबकि अभी भी शेष 1759 विद्यालयों के प्रधान द्वारा समिति के द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि तक उक्त महत्वपूर्ण डाटा अपडेट किया ही नहीं गया है। निःसन्देह यह कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है।

3. वर्णित स्थिति में शिक्षक डायरेक्टरी को ऑनलाईन अपडेट करने हेतु दिनांक 23.10.2018 से 30.10.2018 तक की अवधि पुनः विस्तारित की जाती है।


4. उक्त विस्तारित अवधि में भी जिन विद्यालयों के प्रधान द्वारा अपने विद्यालय में अद्यतन कार्यरत शिक्षकों की सूची को समिति के उक्त वेबसाईट पर अपडेट नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि वे समिति द्वारा दिये गए उक्त महत्वपूर्ण निदेश का उल्लंघन कर रहे हैं जिसके लिए उनके विद्यालय के छात्र/छात्रा का परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र (Admit Card) निर्गत नहीं किया जाएगा जिसकी सारी जिम्मेवारी विद्यालय प्रधान की होगी और ऐसे में संबंधित संस्थान एवं उनके प्राचार्य के विरुद्ध निम्नवत् कार्रवाई हेतु भी समिति बाध्य होगी :-

➤ शिक्षकों की सूची अपडेट करने हेतु दिये गये निदेश के बावजूद निर्धारित किये गये अवधि में अपडेट नहीं करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य के निदेश का उल्लंघन करने वाले राजकीय, राजकीयकृत, उत्क्रमित, अल्पसंख्यक, प्रोजेक्ट, आवासीय एवं स्वत्वधारक माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित कार्रवाई हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएगी तथा उनके विरुद्ध समिति द्वारा अति कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।

➤ समिति द्वारा प्रस्वीकृत एवं स्थापना अनुमति कोटि के माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने की कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे संस्थानों के प्राचार्यों को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।

5. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि आपके जिले के जिन माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान द्वारा अभी तक शिक्षक डायरेक्टरी को अपडेट नहीं किया गया है उसकी सूची ई-मेल के माध्यम से दिनांक 22.10.2018 को आपको प्रेषित है, उक्त विस्तारित अवधि में शिक्षक डायरेक्टरी को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन अपडेट कराने तथा इसकी सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 01.11.2018 तक जमा करने हेतु उन्हें अपने स्तर से निदेश देने का कष्ट करें। साथ ही प्राप्त शिक्षक सूची की सॉफ्ट (CD) कॉपी को समेकित करते हुए जाँचोपरान्त अपने प्रतिहस्ताक्षर एवं अग्रसारण पत्र के साथ सॉफ्ट (CD) एवं विद्यालय से प्राप्त हार्ड कॉपी अपने विशेष दूत के माध्यम से दिनांक 03.11.2018 तक समिति (माध्यमिक) के केन्द्रीय प्रशाखा में प्राप्त कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे। इस हेतु विशेष दूत को नियमानुसार यात्रा भत्तादि का भुगतान समिति द्वारा किया जाएगा।

कृपया इसे अति आवश्यक निदेश समझें।


परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।



(क०पृ०उ०)

ज्ञापांक : के-653 / पटना, दिनांक : 22 अक्टूबर, 2018
प्रतिलिपि : जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

के.ए.ए.ए.

के.ए.ए.ए.

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : के-653 / पटना, दिनांक : 22 अक्टूबर, 2018
प्रतिलिपि : प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 डाटासॉफ्ट प्रा0 लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

के.ए.ए.ए.

के.ए.ए.ए.

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : के-653 / पटना, दिनांक : 22 अक्टूबर, 2018
प्रतिलिपि : उप निदेशक आई० टी० (माध्यमिक)/सिस्टम एनालिस्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

के.ए.ए.ए.

के.ए.ए.ए.

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : के-653 / पटना, दिनांक : 22 अक्टूबर, 2018
प्रतिलिपि : सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

के.ए.ए.ए.

के.ए.ए.ए.

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

के.ए.ए.ए.

के.ए.ए.ए.